न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2017 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. नाना पिता वक्ता कटारा भील मीणा, निवासी नवाडेरा डूंगरपुर, हनुमान मंदिर के सामने, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
2. रामू पिता मरता कटारा भील मीणा, निवासी नवाडेरा डूंगरपुर, हनुमान मंदिर के सामने, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
3. बाबूलाल पिता मरता कटारा भील मीणा, निवासी नवाडेरा डूंगरपुर, हनुमान मंदिर के सामने, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती कंकू पुत्री वक्ता कटारा पिता गोमना कटारा भील मीणा, निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री अमरा ननोमा मीणा, निवासी मउडी फला उपला पाडा, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती कमला पुत्री वक्ता कटारा पिता गोमना कटारा भील मीणा, निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री नाथा ननोमा मीणा, निवासी मउडी फला उपला पाडा, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती मंगली पुत्री वक्ता कटारा पिता गोमना कटारा भील मीणा, निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री हॉजीया रोत मीणा, निवासी भण्डारिया फला नई बस्ती, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)

   (श्रीमती धनु पुत्री वक्ता के कायम मुकाम – पुत्र)
4. कान्ति पिता रामजी भील मीणा, निवासी नलवा, तहसील एवं जिला डूंगरपुर।
5. श्रीमती रूपली बेवा मरता मीणा, निवासी नवाडेरा, हनुमान मंदिर के सामने, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (मरता पिता वक्ता के कायम मुकाम पत्नी)
6. श्रीमती गंगा बेवा कालिया मीणा, निवासी बोरी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (कालिया पिता मरता के कायम मुकाम पत्नी)
7. हरिश पिता कालिया मीणा, निवासी बोरी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (कालिया पिता मरता के कायम मुकाम पुत्र)

8. कान्ति पिता कालिया मीणा, निवासी बोरी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (कालिया पिता मरता के कायम मुकाम पुत्र)
9. मुकेश पिता कालिया मीणा, निवासी बोरी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (कालिया पिता मरता के कायम मुकाम पुत्र)
10. सोहन पिता कालिया मीणा, निवासी बोरी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (कालिया पिता मरता के कायम मुकाम पुत्र)
11. श्रीमती रम्बा पिता कालिया मीणा, निवासी बोरी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (कालिया पिता मरता के कायम मुकाम पुत्री)
12. श्रीमती शान्ति पिता कालिया मीणा, निवासी बोरी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (कालिया पिता मरता के कायम मुकाम पुत्री)
13. श्रीमती शान्ति पिता मरता पत्नी बदा रोत मीणा, निवासी मउडी फला भागासीरा, पटवार हल्का मउडी पाल, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
14. श्रीमती वालू पुत्री धुला, निवासी नवाडेरा डूंगरपुर, हनुमान मंदिर के सामने, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (धुला के कायम मुकाम पुत्री)
15. श्रीमती संगीता पुत्री धुला, निवासी नवाडेरा डूंगरपुर, हनुमान मंदिर के सामने, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (धुला के कायम मुकाम पुत्री)
16. श्रीमती ललिता पुत्री धुला, निवासी नवाडेरा डूंगरपुर, हनुमान मंदिर के सामने, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (धुला के कायम मुकाम पुत्री)
17. सब रजिस्ट्रार पंजीयन डूंगरपुर कलेक्ट्रेट परिसर, डूंगरपुर (राज.)
18. भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर तहसील कार्यालय डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 20.09.2016, प्र.सं. 6/2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री भंवरलाल पण्डया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अल्लानूर मंसूरी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 3
3– श्री एम. के. भट्ट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 13
4– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17, 18

———::———

निर्णय **दिनांक 28–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद धारा 88, 188, 90, 91, 209 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डूंगरपुर शहर में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां वादी संख्या 1 से 3 एवं वादी संख्या 4 की माता श्रीमती धनु के पिता वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात स्थित है। वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 सगे भाई बहन हैं। वादीगण के मूलपुरूष वक्ता जी होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उनके पुत्र व पुत्रियां हैं। उक्त भूमियों में वक्ता जी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समान हक अधिकार होकर इसी अनुसार काबिज हैं, लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ जाने से नामान्तरकरण संख्या 193 वादीगण की जानकारी के बगैर अपने नाम खुलवा लिया है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पुत्र व पुत्री का समान अधिकार होता है। प्रतिवादीगण ने उनके हिस्से की आराजियात का विक्रय कर दिया है तथा अब शेष बची आराजियात वादीगण के हिस्से की है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय की गयी आराजियात के खातेदार/विक्रय से प्राप्त आराजी के व्यक्तियों से किसी प्रकार का अनुतोष जो नहीं चाहते हैं, परन्तु वाद पत्र की कलम संख्या 11 से 13 के इन्द्राज को यथावत रखते हुए वादीगण का नाम खाते में अंकित किये जाने से आराजियात का बंटवाड़ा वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच किये जाने की चायना करते हैं। अतएवं वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाकर वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बराबर अंकित किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण की अपील समय पर पेश नहीं की गयी है, जिससे दावा मयाद बाहर है। वादीगण द्वारा कई वर्ष पूर्व अपने पिता का घर त्याग दिया गया है तथा अनुसूचित जनजाति में महिलाओं का विवाह पश्चात् कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। वादीगण विक्रय की गयी भूमि पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कोई नाजायज लाभ नहीं मिल सकता है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को काश्त करने एवं विक्रय करने से रोकने के लिए अधिकृत नहीं हैं। वादीगण जाति रिवाज प्रथा में विवाह के पश्चात् महिलाओं को

अपने पिता की सम्पत्तियों में अधिकार नहीं होने के कारण किसी प्रकार की सहायता पाने की अधिकारी नहीं हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण वक्ता पिता गोमना की संतान होने से वक्ता के खाते की आराजी में अपना, अपना हिस्सा बराबर रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित करवाकर बंटवारा कराये जाने की अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
2. आया वादीगण पुत्रियां संतान होने से खातेदारी हक प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं ? ..... प्रतिवादीगण
3. अनुतोष ?
4. आया वादीगण व प्रतिवादीगण पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है क्योंकि पक्षकार अनुसूचित जनजाति वर्ग (एसटी) के हैं तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रिवाज (कस्टम) की ही कानूनी मान्यता है ? ..... प्रतिवादीगण

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 20–09–2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23–12–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की दिनांक 19–10–2016 तक अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी। बाद में तत्काल नकल हेतु आवेदन किया। वर्तमान में नोटबंदी होने से एवं अपीलान्ट वयोवृद्ध होकर स्वास्थ्य खराब होने से अपील प्रस्तुत करने में एक माह का विलम्ब हुआ है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ व्यक्त कारणों, अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री अल्लानूर मंसूरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से वकील श्री एम. के. भट्ट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या

17 व 18 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है एवं उन पर जाति रीति रिवाज ही लागू होते हैं, परन्तु इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है तथा वादीगण पी.डब्ल्यु.1 व 2 की मुख्य परीक्षा व वाद पत्र में उल्लेख को झुठलाकर उसे अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 अपनी मुख्य परीक्षा में हिन्दू धर्म का नागरिक बताते हैं, जबकि जिरह में स्वयं को अनुसूचित जनजाति का बताते हैं, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद समयावधि से बाहर होने के महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्टगण का प्रमुख उजर यह है कि अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों का हक व अधिकार नहीं होता है, परन्तु माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अनुसूचित जाति में यदि इसके विपरीत कोई कस्टमरी लॉ उपलब्ध हो, तब उस अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों का हक नहीं माना गया हैं, यहां पर प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा इस प्रकार का कोई कस्टमरी लॉ प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में वादीगण का हक नहीं माने जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण में जहां तक मयाद का प्रश्न है, घोषणात्मक वाद में नामान्तरकरण की कार्यवाही एक वित्तीय कार्यवाही होती है, उसकी अपील की कोई मयाद नहीं होती, क्योंकि घोषणात्मक वाद के लिए कोई मयाद निर्धारित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए तनकीवार

सुस्पष्ट निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–09–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नाना पिता वक्ता कटरा भील, नि0 नवाडेरा डूंगरपुर, हनुमान मंदिर के सामने, तह. व जि. डूंगरपुर व अन्य

बनाम

श्रीमती कंकू पुत्री वक्ता कटारा, निवासी नवाडेरा हाल निवास बर पति श्री अमरा ननोमा मीणा, नि0 मउडी फला उपला पाडा, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....**6 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**20**.....माह.....**09**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**.....माह.....**02**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भंवरलाल पण्डया**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री अल्लानूर मंसूरी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–09–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**02**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।